Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

**प्रेस नोट**

- **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उदयपुर के संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में उदयपुर, भीलवाड़ा स्थित 4 ठिकानों पर छापे**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *24 अक्टूबर, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा उदयपुर, भीलवाड़ा में आज अल–सुबह कार्यवाही करते हुये **जयमल सिंह राठौड़ संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, उदयपुर (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)** के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में आरोपी के 4 विभिन्न ठिकानों पर छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया गया।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा** ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय सूत्र–सूचना प्राप्त हुई थी कि **जयमल सिंह राठौड़ संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, उदयपुर** द्वारा भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा अपने एवं अपने परिजनों के नाम से अपनी वैध आय से आनुपातिक रूप से अधिक चल–अचल सम्पत्तियाँ अर्जित की गई है, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करोड़ों रुपयों से अधिक है।

उक्त सूत्र–सूचना का ए.सी.बी. की **इन्टेजिलेन्स शाखा** द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया एवं तथ्यों की पुष्टि होने पर **आय से अधिक सम्पत्तियाँ अर्जित का मामला** बनना पाये जाने पर **प्रकरण** दर्ज किया गया। एसीबी उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनन्त कुमार, अनुसंधान अधिकारी** के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया जाकर ए.सी.बी राजसमंद के **अति.पु.अ. श्री हिम्मत सिंह,** ए.सी.बी चित्तौड़गढ़ के **अति.पु.अ. श्री विक्रम सिंह एवं** ए.सी.बी. डूंगरपुर के **उ.अ.पु. श्री रतन सिंह राजपुरोहित** की विभिन्न टीमों ने एक साथ, आज अलसुबह आरोपी के उदयपुर, भीलवाड़ा स्थित **4 विभिन्न ठिकानों** पर तलाशी की कार्रवाई की गई।

आरोपी **जयमल सिंह राठौड़** एवं उसके परिजनों के नाम पर **सरदारपुरा योजना उदयपुर में एक मकान, सज्जनगढ़ रोड पर एक आलीशान होटल, मचीन्द, खमनोर में पांच आवासीय भूखंड, मदार बड़गांव में एक आवासीय भूखंड, सीसरमा में लगभग सवा दो बीघा कृषि भूमि, चार चौपहिया महंगे लग्जरी वाहन (किया सेल्टोस, महिंद्रा एक्सयूवी 300, मारुति इग्निस व मारुति एस–क्रॉस) सरदारपुरा उदयपुर में स्वयं के निवास स्थान से लगभग डेढ़ किलोग्राम सोने के आभूषण व 13.70 किलोग्राम चांदी के आभूषण एवं लगभग 3 लाख रुपये की नगदी मिले हैं।** आरोपी की पत्नी श्रीमती अनुराधा एवं पुत्र श्री हनुतसिंह के नाम पर 7062.50 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बना **चार मंजिला एवं 26 कमरों वाला लग्जरी होटल मानविलास रिसॉर्ट** है इसमें एक रूफटॉप रेस्टोरेंट भी संचालित है। उक्त होटल में आरोपी द्वारा करोड़ों रुपए का निवेश करना पाया गया है। इसके

अतिरिक्त आरोपी एवं उसके परिजनों के विभिन्न बैंक खातों तथा बीमा पॉलिसियों में निवेश की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोपी एवं उसकी पत्नी के नाम पर एक संयुक्त बैंक लॉकर भी मिला है, जिसकी तलाशी ली जानी शेष है। आरोपी के निवास स्थान की तलाशी के दौरान **लगभग 100 से अधिक महंगी शराब की बोतलें** मिली हैं, साथ ही **अनेक वन्यजीवों के नाखून एवं सींग** भी मिले हैं, जिनके संबंध में पृथक से संबंधित पुलिस थाने को सूचित कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु कहा गया है।

ब्यूरो के प्राथमिक आकलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अब तक तलाशी में मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी जयमल सिंह राठौड़ द्वारा अपने सेवाकाल में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा करोड़ों रुपये की खरीद कीमत की अनेक चल–अचल परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी **वैध आय से आनुपातिक रूप से कहीं अधिक** है। इसके अतिरिक्त आरोपी एवं उसके परिजनों द्वारा कई बेनामी परिसम्पत्तियों में निवेश के साक्ष्य मिले हैं, जिनकी विस्तृत जाँच की जायेगी।

**एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। मामले में ए.सी. बी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।